भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1116
दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

1116. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा मातृ एवं बाल अल्पपोषण को दूर करने के लिए शुरू किए गए बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विस्तृत स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत देशभर के कवर किए गए जिलों की संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसके परिणामस्वरूप बाल अल्पपोषण और कम वजन वाले बच्चों की व्याप्तता को रोकने तथा कम करने में इसके प्रभावकारिता के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(घ) उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है, जहां अब तक पोषण परिषदों का गठन किया गया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : अल्पपोषित बच्चों (3 साल से कम आयु के बच्चों में अल्पपोषण की मौजूदगी) में कटौती एवं रोकथाम तथा छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्ताल्पता के स्तर में कटौती के लिए 200 अधिक प्रभावित जिलों में मातृत्व एवं बाल अल्पपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जनवरी 2014 में बहुक्षेत्रक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुक्षेत्रक कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। तथापि 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं में समयबद्ध ढंग से पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 08.03.2018 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री योजना (पोषण अभियान) शुरू किया गया।

इसके अलावा समन्वित अंतरक्षेत्रक कार्रवाई के माध्यम से भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों का निवारण करने और तिमाही आधार पर पोषण संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। साथ ही पोषण अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्देश, नीति और दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण गतिविधियों के लिए संबंधित मंत्रालयों एवं राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यकारणी समिति का भी गठन किया गया है।

*****